तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सप्लाई विविध प्रकरण सं. 07/2023 (2023/30)** **प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर बनाम राजेश अरोड़ा**

19.01.2024

पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थीपक्ष–1 व आई.ओ.सी.एल. कम्पनी के डिस्ट्रीब्यूटर/प्रतिनिधि के आधार पर रॉयल बल्यू एनडीएनई इण्डेन गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर उपस्थित। अप्रार्थीपक्ष को सुना गया।

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रवर्तक अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय, जिला कलक्टर, जोधपुर के समक्ष पेश किया है। प्रकरण स्थानान्तरण से सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थना पत्र में व्यक्ति किया कि दिनांक 10.01.2023 को अप्रार्थी राजेश अरोड़ा पुत्र ओमप्रकाश, जाति अरोड़ा निवासी भाईयों की पोल, घंटाघर जोधपुर फर्म न्यू अरोड़ा स्वीट एवं नमकीन जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर प्रतिष्ठान को जारी व्यावसायिक कनेक्शन से अधिक इण्डेन गैस सिलेण्डरों का भण्डारण पाया गया। अप्रार्थी की फर्म को स्वीकृत कनेक्शन से अधिक व्यावसायिक सिलेण्डरो का इस्तेमाल करने के कारण निम्नांकित 06 व्यवसायिक सिलेण्डरों को जब्त किया जाकर शमसुदीन पुत्र फिरोज खान को सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेश तक पाल गैस गोदाम में सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किया गया।

क्रम संख्या	सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का एस0 आर0 क्रमांक	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टेयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी. किग्रा में	शुद्ध गैस का भार कॉलम संख्या (5–4) किग्राम में
1.	इण्डेन	स्पष्ट नहीं है	19.300	38.000	18.700
2.	इण्डेन	स्पष्ट नहीं है	19.500	38.400	18.900
3.	इण्डेन	स्पष्ट नहीं है	19.200	38.100	18.900
4.	इण्डेन	स्पष्ट नहीं है	19.100	37.700	18.600
5.	इण्डेन	083936	19.100	37.200	18.100
6.	इण्डेन	124360	19.100	29.100	10.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में आगे बतलाया कि फर्म अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन के नाम से 15 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का कनेक्शन था जबकि मौके सिलेण्डर पाये गये इस प्रकार प्रतिष्ठान को जारी व्यवसायिक कनेक्शन से 06 अधिक इण्डेन गैस सिलेण्डरों का भण्डारण एवं इस्तेमाल किये जाने पर उक्त 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को जब्त किया गया। उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण व नियमन) आदेश 2000 की अवहेलना किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अन्त में उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात् एवं इनमें भरी गई गैस का अंतरिम निस्तारण किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रत्युतर में दिनांक 19.07.2023 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि मेरे द्वारा प्रतिष्ठान के माध्यम से मिठाई नमकीन, बैकरी इत्यादि सामान का खुदरा बेचान किया जाता है जिसमें प्रत्येक महिने लगभग 140 से 150 सिलेण्डरों का उपयोग किया जाता है। इस हिसाब से प्रत्येक दिन 19 कि.ग्रा. के 05 व्यावसायिक सिलेण्डर उपयोंग में लिये जाते है। इस कारण मेरे द्वारा आई.ओ.सी.एल. में निर्धारित प्रतिभूमि राशि जमा करवाकर 15 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का कनेक्शन ले रखा है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2023 को आकस्मिक निरीक्षण करने पर प्रतिष्ठान पर 21 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर पाये गए जो निर्धारित गैस सिलेण्डरों से 06 अधिक थे। उस समय मेरे पास 15 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के दस्तावेज थे जबकि गैस कम्पनी द्वारा मुझे दिनांक 31 अक्टुबर 2022 को बिना किसी प्रतिभूति राशि जमा करवाए 20 अतिरिक्त व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के भी कनेक्शन जारी किये गये थे जो निरीक्षण के दौरान मौके पर मेरे पास कनेक्शन से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को प्रार्थी द्वारा जब्त कर लिया गया। मेरे द्वारा 35 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के दस्तावेज साक्ष्य के रूप में जवाब के साथ पेश किये जा रहे है। इस प्रकार मेरे प्रतिष्ठान द्वारा 35 गैस व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का निरीक्षण के दौरान कनेक्शन ले रखा था लेकिन निरीक्षण के दौरान दस्तावेज के अभाव में 06 गैस सिलेण्डर जब्त किये गये जो न्यायोचित नहीं है। जवाब के अन्त में जब्तशुदा 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को रिलीज करने की इस्तदुआ की।

इसके अतिरिक्त आई.ओ.सी.एल. कम्पनी के डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से रॉयल ब्ल्यू एनडीएनई इण्डेन गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर श्री आशव सोलंकी उपस्थित हुए। उनको भी सुना गया। दिनांक 02.01.2024 को बहस सुनी गई। अपनी मौखिक बहस में अप्रार्थीपक्ष को जारी गैस कनेक्शन की पुष्टि की एवं किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया एवं बतलाया कि उक्त 35 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर्स का कनेक्शन हमारी एजेन्सी द्वारा जारी किये गये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी फर्म को वाणिज्यक/व्यवसायिक उपयोग के लिये दिनांक 31.10.2022 को 20, दिनांक 17.12.2022 को 05 एवं 23.12.2022 को 10 गैस सिलेण्डर्स का कनेक्शन जारी किये हुए है। इस प्रकार कुल 35 सिलेण्डर्स का कनेक्शन है। अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब के विरूद्ध कोई प्रत्युतर नहीं दिया गया। अतः प्रार्थीपक्ष का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि अप्रार्थी फर्म पर बिना कनेक्शन के 06 व्यवसायिक सिलेण्डर्स अधिक पाये गये इसलिए दिनांक 10.01.2023 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जो 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर जब्त करने की कार्यवाही की गई जो न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाता है एवं प्रकरण में जब्तसुदा 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस को रिलीज करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर उक्त गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी को नियमानुसार सुपुर्द करने की कार्यवाही अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:03 IST
Reason: SelfAttested